



बागवानी मिशन  
Horticulture Mission

# उद्यान विभाग की DBT योजना का कार्यवयन

**DBT योजना के अन्तर्गत सरल, सुलभ  
एवं सुविधा जनक कार्य हेतु**

**उद्यान विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया DBT कार्यक्रम**

**उद्यान विभाग की योजनाओं का कृषक द्वारा DBT का उपयोग कैसे करे :-**

1. कृषि विभाग की वेबसाइट [www.up.agriculture.com](http://www.up.agriculture.com) को जन सुविधा केन्द्र पर जाकर खोले।
2. वेबसाइट खोलने के बाद उद्यान विभाग की योजनाओं हेतु पंजीकरण खोलें।
3. यदि आप कृषि विभाग में पहले से पंजीकृत है तो (हाँ) अन्यथा (नहीं) विकल्प चुने।
4. यदि पंजीकृत है तो जिस योजना में पंजीकरण कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए फसल/क्षेत्रफल आदि भरें।
5. नवीन पंजीकरण हेतु सर्वप्रथम कृषक का नाम पिता का नाम, जाति, पता एवं पहचान पत्र संख्या जैसे - आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, राशन कार्ड की संख्या अंकित करें।
6. योजना का चुनाव कर फसल/कार्य को चुनें।
7. भूमि की खतौनी का नम्बर भरें।
8. इसके पश्चात बैंक की डिटेल भरें जैसे- बैंक का नाम, बैंक की शाखा, खाता संख्या भरें।
9. 13 अंकों का पंजीकरण संख्या का प्रिन्ट आउट जनसुविधा केन्द्र से प्राप्त कर अपने पास रखें।
10. पंजीकरण के बाद कृषक उद्यान विभाग के कार्यालय में सम्पर्क कर योजनाओं का DBT द्वारा लाभ प्राप्त करें।

**अधीक्षक राजकीय उद्यान नारायण बाग, झाँसी**